

कार्यालय उपायुक्त जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश ।
संख्या: केनर-8(एस.के.)/2012-573

दिनांक: 16/3/12

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: Rev.B.A.(3).1/2004-Vol-1 दिनांक 01/01/2012 के अनुसार भू-अभिलेख नियमावली के संशोधित अध्याय 28 में पैरा 28.5 (8) (b) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला किन्नौर में आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार बागवानी, कृषि, पशु पालन व्यवसाय से होने वाली आय की गणना प्रार्थी की भूमि या पशुओ इत्यादि के आधार पर निम्न दरो से की जानी प्रस्तावित है ।

1. कृषि		
क्र. स.	नाम फसल (जिन्स)	वार्षिक शुद्ध आय प्रति बीघा (रूपयों में)
1.	(i) गन्दम (सिंचित)	1000/-
	(ii) गन्दम (असिंचित)	500/-
2.	मक्की	600/-
3.	धान	500/-
4.	राजमाह	4000/-
5.	दाले (मसुर, बालडी)	1100/-
6.	मटर	10,000/-
7.	आलू	8000/-
8.	सब्जियां	4,500/-
9.	ओगला/ फाफरा	1000/-
10	चारा/घास	1800/-

2. उद्यान (बागवानी फलदार पौधे)				
क्र. स.	नाम फसल	समान्यता प्रति बीघा में होने वाले फलदार पौधो की संख्या	वार्षिक शुद्ध आय फलदार पौधो से	
			प्रति बीघा फलदार पौधा (रूपयों में)	प्रति फलदार पौधा (रूपयों में)
1	सेब	25	90,700/-	3628/-
2	बादाम	27	19,700/-	730/-
3	खुमानी/ चुली	24	23037/-	960/-
4	नाशपाती	18	17572/-	976/-

3. पशु पालन		
क्र. स.	नाम पशु	वार्षिक शुद्ध आय (रूपयों में)
1.	गाय सुधरी नस्ल (01 milch cow)	47,000/-
	गाय पहाडी (01milch cow)	22,000/-
2.	भेड (01 sheep)	1200/-
3.	बकरी (01milch goat) सुधरी नस्ल	1500/-
4	बकरी (01 goat)	1000/-
5	मुर्गी पालन (50) पक्षी पर	29000/-

यह प्रस्तावना जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है, यदि इसके बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह 28 मार्च 2012 से पूर्व अपने एतराज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दे सकता है। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में इन दरों की अधिसूचना 01/04/2012 से लागू कर दी जायेगी।



उपायुक्त,
जिला किन्नौर स्थित रिकांग पीओ

